सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त की निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाडी, 01 फावडा व मृतक का मोबाइल फोन किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सहसों पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.06.2024 को वादी रविन्द्र पुत्र सोनवीर सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुरा, सहसो, इटावा द्वारा थाना सहसों पर सूचना दी गयी कि वादी का भाई अरविन्द पुत्र सोनवीर सिंह उम्र 55 वर्ष दिनांक 06.06.24 को समय 10:00 बजे घर से हनुमन्तपुरा चौराहे के लिये कहकर गये थे परन्तु लौटकर वापस नही आये। हमारे द्वारा काफी तलाश किया गया परन्तु कोई जानकारी प्राप्त नही हुयी। सूचना पर कार्यवाही करते हुये थाना सहसों पर गुमशुदगी दर्ज कर सहसों पुलिस टीम अरविन्द पुत्र सोनवीर की तलाश हेतु निरंतर प्रयासरत थी। दिनांक 09.06.2024 प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना सहसों पुलिस द्वारा चंबल नदी के किनारे दिलीप सिंह उर्फ प्रेम सिंह के खेत से 01 शव को खुदवाकर निकलवाया गया। उच्चाधिकारियों एव फील्ड युनिट द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिजनों द्वारा शव की पहचान अरविन्द पुत्र सोनवीर निवासी ग्राम प्रतापपुरा, सहसो, इटावा के रुप मे की गयी। परिजनों की तहरीर पर थाना सहसो पर दिनांक 10.06.24 को **मु0अ0सं0 20/24 धारा 302/201 पंजीकृत किया गया**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना सहसों से पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन एवं गहनता से पूछताछ के आधार पर अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ प्रेम सिंह पुत्र जयराम सिंह का नाम प्रकाश मे आया जिसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम निरंतर प्रयासरत थी।

दिनांक 10.06.2024 की रात्रि को थाना सहसो पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ प्रेम सिंह सहसो से चकरनगर की ओर आ रहा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये कार्यवाही करते हुये थाना सहसो पुलिस टीम **अभियुक्त दिलीप सिंह उर्फ प्रेम सिंह पुत्र जयराम सिंह राजपूत को चंबल नदी के पास से समय 22.40 बजे मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।**

एवं बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि 03-04 माह पहले अरविन्द सिंह से एक लाख रुपये ब्याज पर लिये थे जो मेरे द्वारा धीर धीरे वापस कर दिये गये परन्तु अरविन्द ब्याज के नाम पर मुझे बार बार परेशान करता रहता था। दिनांक 06.06.2024 को समय 16.00 बजे अरविन्द हनुमन्तपुरा चौराहे पर मेरे पास आया शराब पिलाने के लिये कहने लगा। उसके बाद मै अरविन्द को शराब पिलाकर अपने खेतो पर ले गया तथा खेत मे ट्यूबेल पर रखी कुल्हाडी से वार कर अरविन्द की हत्या कर दी और फावडे से गड्डा खोदकर शव को खेत मे दफना दिया।

अभियुक्त की निशांदेही पर उसके खेत मे स्थित ट्यूबेल पर बाजरे की करब से घटना मे प्रयुक्त 01 आलाकत्ल कुल्हाडी, 01 फावडा व मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया तथा अभियुक्त को 23.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

दिलीप सिंह उर्फ प्रेम सिंह पुत्र जयराम सिंह राजपूत निवासी सहसों जनपद इटावा उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 20/24 धारा 302/201 भादवि थाना सहसों जनपद इटावा।

बरामदगी

1. 01 आलाकत्ल कुल्हाडी
2. 01 फावडा
3. 01 मोबाइल (मृतक का)
4. 01 बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल UP 79 C 5642 **(धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज)**

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री रणबहादुर सिंह प्रभारी थाना सहसों, उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 सोमवीर सिंह, का0 अमित कुमार, का0 मनीष कुमार।